FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

हरीराम बनाम सगराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 276/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बायतु	
14/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील रिपोर्ट तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक- 02/12/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
02/12/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील रिपोर्ट तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक: 09/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

09/02/2022	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकोन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 15/04/2021 को पेश हो।
15/04/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकोन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 12/07/2021 को पेश हो।
12/07/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकोन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 10/08/2021 को पेश हो।
10/08/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकोन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 01/12/2021 को पेश हो।
01/12/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-22/03/2022 को पेश हो।
22/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-27/04/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी ...
जिला ...

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक - 09/05/2022 को पेश हो। [signature]	
09/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस सर्व के जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाये गये जिनको करीब 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगणों स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेढा-सेढ आये हुए है। खेतों के मध्य जो पुरानी मेडे व कोट आये हुए थे जो वर्तमान में आधिपत्य की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढे को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाबंदी आवेदन स्वीकार किया किया जाकर तहसीलदार पैमाबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि [signature]	

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नियमानुसार मौके पर उचित शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो. पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के उपरांत दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बायतु

अहलमद
हुक्म की
मं. जारी

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 667

दिनांक : 9/5/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. हरीराम पुत्र राऊराम वगैरा 05, जाति जाट, निवासी रतेऊ, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)	1. सगराराम पुत्र हरखाराम वगैरा 16, जाति जाट, निवासी रतेऊ, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 276 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रतेऊ, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 25, 30, 32, 760 / 25 रकबा क्रमशः 99.1300, 1.0400, 101.1100, 5.0800 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :

क्रमांक : वाद / 2022 / 668 - 672

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरीराम पुत्र राऊराम वगैरा 05,
4. विप्रार्थी श्री सगराराम पुत्र हरखाराम वगैरा 16,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर